उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

राज्यसात अपील वाद संख्या 116/2022

अभिषेक कुमार सिंह –बनाम–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
18/08/23	प्रस्तुत अपील राज्यसात वाद सं0– 20/2021(कटकमदाग थाना कांड सं005/2021)राज्य (सहायक अवर निरीक्षक, कटकमदाग थाना)–बनाम– अभिषेक कुमार सिंह एवं अन्य में न्यायालय, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल हजारीबाग द्वारा दिनांक 20.06.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है, जिसके तहत् ट्रक सं0 JH05BE5087 एवं उसपर लदे 350 बोरिया पोडा कोयला को भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 के तहत् अधिहरित किया गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल हजारीबाग द्वारा दिनांक 20.06.2022 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया, जिसका सारांश यह है कि दिनांक 07.01.2021 का लगभग 22:00 बजे सहायक अवर निरीक्षक अनिल कुमार सिंह कटकमदाग थाना द्वारा सशस्त्र बल के साथ सरकारी वाहन से गश्ती के क्रम में 1:30 बजे सूचना मिली कि कुण्डीलबागी चौक से करीब (01) एक कि0मी0 आगे बडकागॉव जानेवाली पक्की सडक के किनारे एक 10 चक्का ट्रक सं0 JH-05BE-5087 पर अवैध कोयला लोड किया जा रहा है तथा त्वरित कार्रवाई करने पर पकडा जा सकता है। सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराकर उनसे प्राप्त सूचना का सत्यापन एवं कार्रवाई करने का निर्देश के आलोक में कुण्डीलबागी चौक से करीब (01) एक कि0मी0 आगे बडकागॉव जानेवाली पक्की सडक पर गश्तीदल द्वारा देखा गया कि कुछ लोग जंगल में छिपाकर रखा कोयला को ट्रक पर लोड कर रहे हैं। पुलिस बल को देखकर सभी लोग भागने लगे, जिसमें से दो लोग को पुलिस बल के सहयोग से पकडा गया तथा चार–पॉच लोग अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल में भागने में सफल रहे। पकाड़ाये दोनो व्यक्ति का बारी–बारी से नाम पता पूछा गया तो दोनो व्यक्ति ने अपना – अपना नाम क्रमशः अभिषेक कुमार सिंह उम्र करीब 25 वर्ष पे0 सुबोध कुमार सिंह सा0 विवेक नगर शिग्लो, नियर शिव मंदिर थाना गोविन्दपुर जिला पूर्वी सिंहभूम जो सवंय को ट्रक संख्या0 JH-05BE-5087 के मालिक बताये तथा दूसरा व्यक्ति ने अपना नाम सलमान खान उम्र करीब 25 वर्ष पे0 शहजाद खाँ सा0 + थाना –कुज्जू जिला रामगढ़ बताया जो स्वंय को ट्रक संख्या JH-05BE-5087 का चालक बताया। ट्रक में लोड़ कोयला का	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	कागजात मांग किया तो कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा दोनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम सरफराज खान एवं पिता एवं पता नामालूम जो जमशेदपुर का रहने वाला है, जिसका मो0 नं0 (i) – 7681008757 (ii) 7762875656 है के द्वारा बड़कागांव के गोन्दलपुरा वन क्षेत्र से कोयला का उत्खन्न कर पोड़ा बनाकर प्लास्टिक के बोरा में भरकर जंगल मे छुपाकर रखा गया था, जिसे ये लोग अपने ट्रक में लोड कर व्यापार करने हेतु एवं अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से जमशेदपुर के लिए जाना था। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि गश्तीदल को देखकर भागे गए लोगों में सरफराज खान भी शामिल था तथा अन्य मजूदर थे जिनका नाम पता नहीं जानतें हैं। सहायक अवर निरीक्षक द्वारा आस – पास स्वतंत्र साक्षी के अभाव में सशस्त्र बल को स्वतंत्र साक्षी मानते हुए पकड़ाये गए ट्रक एवं उस पर लदे 350 बोरियां कोयला को जब्त कर थाना लाया गया। इसी आधार पर वादी अवर निरीक्षक के स्वलिखित बयान पर कटकमदाग थाना में कांड़ सं0 05/2021 दिनांक 08.01.2021 धारा 413, 414, 34 भा0 दा0 नि0 एवं 30(II) कोल माइन्स एक्ट तथा भारतीय वन अधिनियम 33 दर्ज किया गया। फलस्वरूप साहयक अवर निरीक्षक के लिखित सूचना एवं पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के ज्ञापांक 2970 दिनांक 8.6.2021 के अनुसार पदाधिकृत पदाधिकारी सह – वनप्रमंडल पदाधिकारी पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग के न्यायालय में रज्यसात वाद सं0 20/2021 प्रारम्भ कर सुनवाई करते हुए केश दैनिकी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को आधार बनाते हुए भारतीय वन अधिनियम की घारा 52 के तहत ट्रक सं0 JH-05BE-5087 एवं उसपर लदे 350 बोरियां पोड़ा कोयला को अधिहरित कर दिया गया। सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी की ओर से वकालतन दाखिल अपील आवेदन का अवलोकन किया एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनकी ओर से अपना पक्ष रखा गया किः– 01. निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं एवं निरस्त करने योग्य है। 02. निम्न न्यायालय के द्वारा न्यायिक पहलुओं पर उपयोग किए बिना तथा असंम्भव कहानी पर विश्वास कर ट्रक सं0 JH-05BE-5087 का अधिहरण कर दिया गया, जो कानून एवं न्याय के खिलाफ है।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

9

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	03. निम्न न्यायालय इस तथ्य को समझनें में विफल रही कि जाँच पदाधिकारी ने मामले को ठीक ढ़ंग से जाँच नहीं की तथा दोनों **यथा** कोयला खदान अधिनियम तथा भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र समर्पित किया गया। 04. निम्न न्यायालय इस तथ्य को समझने में विफल रही कि जाँच पदाधिकारी के द्वारा इस तथ्य को स्पस्ट नहीं किया जा सका कि जप्त कोयला वन उत्पाद अथवा नहीं। 05. निम्न न्यायालय इस तथ्य को समझनें में असफल रही कि उक्त कोयला का उत्खनन किस संरक्षित वन क्षेत्र से अथवा कहाँ से किया गया है। 06. निम्न न्यायालय इस तथ्य को समझनें में विफल रही कि स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य दर्ज किए और न ही आरोप पत्र दायर किया गया। 07. जप्त किया गया कोयला सॉफ्ट कोक है जिसे वन उत्पाद नहीं माना जा सकता । 08. अपीलकर्ता इंजीनियरिंग का छात्र है, और जप्त किया गया ट्रक उसका है, जो उसके परिवार के आय का श्रोत है। 09. अपीलकर्ता के द्वारा सिर्फ अपने ट्रक को मुक्त करने का दावा किया जा रहा है। 10. शीर्ष अदालत के कई फैसले है कि सॉफ्ट कोक को जप्त नहीं किया जा सकता। 11. अपीलकर्ता ट्रक नं0 JH-05BE-5087 के मालिक हैं, जिसे कटकमदाग थाना में जप्त कर लम्बी अवधि से खुले परिसर में पड़ा हुआ हैं। सुंदरभाई अंबाला देसाई बनाम गुजरात राज्य (2002–10 एस0 सी0 सी0 पेज 283) में माननीय सर्वोचय न्यायालय ने माना है कि किसी भी अपराध के संबंध में जप्त किए गए वाणिज्य वाहन को लम्बी अवधि के लिए custody में नहीं रखा जाएगा। अपीलकर्ता की ओर से जप्त वाहन को उचित बाँड एवं गारँटी पर वाहन को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

इस प्रकार उभय पक्षों को सुनने एवं उक्त सभी तथ्यों पर समीक्षा/विवेचनोपरांत यह मामला निम्न प्रकार परीलक्षित होता है:–

i. यह मामला कटकमदाग थाना के गस्ती दल द्वारा ग्राम कुण्डलबागी के 1 कि0 मी0 आगे रोड़ के किनारे से ट्रक नं0 JH-05BE-5087 को उस पर लदे 350 बोरिया पोड़ा कोयला को जप्त कर तथा कटकमदाग थाना कांड़ सं0 05/2021 के आधार पर प्रारम्भ किया गया। इस मामले में व्यवहार न्यायालय के विद्वान न्यायिक दण्ड़ाधिकारी के न्यायालय में अंतिम निर्णय हेतु विचाराधीन है। विद्धान न्यायालय में अंतिम निर्णय के पूर्व ट्रक को अधिहरित कर देना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

ii. कटकमदाग थाना कांड़ सं0 05/2021 के आधार पर निम्न न्यायालय में राज्यसात वाद सं0 20/2021 सुचीबद्ध किए जाने के पश्चात् आदेश पारित करने से पूर्व जप्त पोड़ा कोयला के संदर्भ में संबंधित क्षेत्र के वन पदाध्किारी से जाँच पड़ताल करानी चाहिए थी कि 350 बोरियां कोयला किस अधिसूचित वन क्षेत्र तथा किस स्थान से खुदाई कर निकाला गया एवं उसे किस स्थान पर पोड़ा कोयला तैयार किया गया तथा वन क्षेत्र से रोड़ के किनारे इतनी अधिकमात्रा में पोड़ा कोयला परिवहन किस प्रकार किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख में वन विभाग की ओर से कोई जाँच प्रतिवेदन तथा अधिसूचित वन क्षेत्र का नक्शा सलंग्न नहीं पाया गया।

iii. निम्न न्यायालय द्वारा सिर्फ कटकमदाग थाना में दर्ज कांड़ के आधार पर ट्रक नं0 JH-05BE-5087 को अधिहरित कर देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के द्वारा परित आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिया जाता है कि कटकमदाग थाना कांड़ सं0 05/2021 के कम में व्यवहार न्यायालय में चल रहे वाद मे संबंधित माननीय न्यायालय से अंतिम निर्णय आने तक अपीलार्थी से उचित बंध पत्र एवं गारंटी के आधार पर ट्रक नं0 JH-05BE-5087 को मुक्त किया जाय। निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ आदेश की प्रति संबंधित वन प्रमण्ड़ल पदाधिकारी पश्चिमी वन प्रमण्ड़ल, हजारीबाग को भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित 18/8/23 उपायुक्त, हजारीबाग। 18/8/23 उपायुक्त, हजारीबाग।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.13 17:19:57 +05:30
Location: 192.168.1.3